

16-02-26

पत्रावली पेशा हुई। वकील प्रार्थी उपा. उन्होंने तामीर
स्टेटस पेशा किये। बाद वकील कोई उपस्थित नहीं आया।
अतः अपाथीगण के विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल
में चलाई जाती है। अदालत पर प्रार्थी वकील को सुना
गया। अदालत पर मनन किया गया। पत्रावली एवं
इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का माली भंडारी अवलोकन
किया गया जिससे हठ इस नही है पर पंडितों के
आराजीयाह के संबंध में पक्षकारान के हकों का
नि-धरिण बकायों में साक्ष्य व सबूतों के परीक्षण के
पश्चात् एवं गुणावगुण के आधार पर ही सैलगा
ऐसी सुरत में अनापमर्क मुकदमा वाजी
नहीं बेटे एवं कानून के पीछेगीमां पेशा नहीं है,
इसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थी पर अपाथीगण
स्वीकार किया जाता है। एवं न्यायालय हाजि
कारा जारी शुल्क स्थगित आदेश दिनांक 26.08.25
को लॉकसला मूलवाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फंसल: शुमार होकर नंबर से
कम हो लेना संलग्न मूलवाद है।

उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर) राजग